नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01/04/21 से 31/03/2023
भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए० खण्ड –(ख) दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत चुवाड़ी के लेखों, अवधि 01/04/21 से 31/03/2023 का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

अवधि 4/2021 से 3/2023 के दौरान नगर पंचायत चुवाड़ी में प्रधान व सचिव के पद पर पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान

क्र०स०	**नाम**	**अवधि**
1	श्री मति कुसुम धीमान	01-04-21 से 31-03-22

सचिव :-

क्रम संख्या	**पदाधिकारियों के नाम**	**अवधि**
1.	श्री अशोक कुमार (नायब तहसीलदार चुवाड़ी, अतिरिक्त कार्यभार)	01-04-21 से 17-09-21
2.	श्री गणेश	18-09-21 से 31-03-23

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	**गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण**	**पैरा संख्या**	**(₹ लाखों में)**
1	अनुदान का उपयोग न करना	7 (2)	273.63
2	अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	7 (3)	224.22
3	गृह कर की राशि वसूली हेतु बकाया	8	19.59
4	दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु बकाया	9	6.81
5	निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	12 (ख)	0.28

6	संविदाकारों से देय दण्ड शुल्क की वसूली न करना	12 (ग)	0.60
7	बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना	14	2.94
8	स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत हेतु अनियमित भुगतान करने बारे	17	1.32

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत चुवाड़ी के लेखों अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 का अंकेक्षण कार्य श्री केवल सिंह, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 19-04-2023 से 07-06-2023 तक नगर पंचायत चुवाड़ी के कार्यालय में किया गया । जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	01/22	03/22
2022-23	03/23	04/22

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव (नगर पंचायत चुवाड़ी) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है ।

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹34000 /- आँका गया । उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव, नगर पंचायत चुवाड़ी से निदेशक, हि 0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 43 दिनांक 29-05-2023 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 519157 दिनांक 21-06-2023 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया ।

4 (क) वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट –"2"** पर दिया गया है:-

(i) मुख्य रोकड़ बही :-

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2021-22	Own Sources	0	3823522.57	580245	4403767.57	933248	3470519.57
	Grant In Aid	19258712.95	22854102	0	42112814.95	22421832.06	19690982.89
	Total	19258712.95	26677624.57	580245	46516582.52	23355080.06	23161502.46
2022-23	Own Sources	3470519.57	4905491.69	645127	9021138.26	2025583	6995555.26
	Grant In Aid	19690982.89	31744673	0	51435655.89	26103275	25332380.89
	Total	23161502.46	36650164.69	645127	60456794.15	28128858	32327936.15
Total as per General Cash Book as on 31.03.2023 (A)							32327936.15
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)							

Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023

Detail of Bank Accounts As on 31.03.2023

S.B.I. chowari	11522427529	4303170.07
S.B.I. chowari	11522427711	2781370.59
S.B.I. chowari	11522427755	1100347.09
HPSCB chowari	18010105636	55020
HPSCB chowari	18010105607	232373.9
P.N.B. chowari	9733000100014459"	1086634
P.N.B. chowari	9733000100004667"	1200584
P.N.B. chowari	9733000100014398"	0
P.N.B. chowari	9733000100014486"	0
H.P.G.B. chowari	99281302800748"	1936078
H.P.G.B. chowari	992810100009761"	3391420
H.P.G.B. chowari	99280100009737"	738558
H.D.F.C. chowari	50100065460057"	243638.19
H.D.F.C. chowari	50100425866656"	22712.3
H.D.F.C. chowari	50100517767314"	8269288
H.D.F.C. chowari	50100517764127"	5354655
H.D.F.C. chowari	50100517834901"	2

H.D.F.C. chowari	50100529480284"		1450222.01
H.D.F.C. chowari	50100523440251"		130819.00
chowari	P.L.A.		55158
UCO shimla	12550110042892"		285
TOTAL AMOUNT AS PER PASS BOOKS (B) BALANCE AS PER CASH BOOK			32352335.15 32327936.15
DIFFERENCE (B-A)			24399
BANK RECONCILIATION STATEMENT			
BALANC E AS PER CASH BOOK			32327936.15
ADD :-			
Intrest credit by Bank but not entered in Cash Book AS ON 31-03-2023			
	HPSCB A/c No. 18010105636 as on 31-03-2023, entered in Cash Book on dated ,01-04-2023	24418	
	HPSCB Chowari A/c No. 18010105607 as on 31-03-2023, entered in cash Book on dated 01-04-2023	2691	
	HDFC CHOWARI A/C NO. 50100065460057, entered in Cash Book on dated 19-04-2023	1168	
	HDFC CHOWARI A/C/ NO. 50100425866656", entered in Cash Book on dated 19-04-2023	167	
	HDFC CHOWARI A/C/ NO. 50100517767314"entered in Cash Book on dated 19-04-2023	21974	
	HDFC CHOWARI A/C/ NO. 50100517764127", entered in Cash Book on dated 19-04-2023	47113	
	HDFC CHOWARI A/C/ NO. 50100529480284",entered in Cash Book on dated 19-04-2023	2479	
	HDFC CHOWARI A/C/ NO. 50100523440251", entered in Cash Book on dated 19-04-2023	940	
	EXCESS DEPOSITED VIDE G8 NO. 382/07 TO 382/15 AMOUNT DUE 50918 BUT DEPOSIT BY DEPOSITED 50958. EXCESS RS. 40/- (50958-50918)	40	
		100990	100990
			32428926.15
LESS:			
	Cheque No. 439245 dt. 29-03-2023 recived and entered in Cash Book Vol-54, Page No. 43, but not credit by bank as on 31-03-2023, credit on dated 04-04-2023 against H.P.G.B A/C NO. 99281302800748	35872	
	Cheque No. 756147 dt. 31-03-2023 recived and entered in Cash Book Vol-54, Page No. 57, but not credit by bank as on 31-03-2023	12175	
	Cheque No. 763216 dt. 31-03-2023 recived and entered in Cash Book Vol-54, Page No. 54, but not credit by bank as on 31-03-2023, credit on dated 03-04-2023 against HDFC BANK A/C NO. 50100529480284	4439	

	Cheque No. 439245 dt. 31-03-2023 recived and entered in Cash Book Vol-54, Page No. 48, but not credit by bank as on 31-03-2023, credit on dated 03-04-2023 against HDFC BANK A/C NO. 50100529480284	**11608**	
	CASH RECEIVED V IDE G8 NO. 403/44 TO -45, 43/49 TO 404/04 DATED 31-03-2023, ENTERED IN Cash Book Vol-54, Page No. 56 TO 58 AMOUNT Rs. 12487, depsoited on dated 03-04-2023 against HDFC A/C NO. 50100529480284	**12487**	
	LESS DEPOSITED VIDE G8 NO. 399/15 TO 399/44 DATED 24-03-2023, AMOTING Rs. 40558, but deposited 40548. LESS RS. 10/- (40558-40548)	**10**	
	TOTAL	**76591**	**76591**
BALANCE AS PER PASS BOOK			**32352335.15**
DIFFERENCE			**NIL**

(ii) B.R.G.F.रोकड़ बही:

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2021-2022	**B.R.G.F**	**198089**	**0**	**6010**	**204099**	**0**	**204099**
2022-23	**B.R.G.F.**	**204099**	**0**	**5729**	**209828**	**0**	**209828**
Total as per BRGF Cash Book as on 31.03.2023							**209828**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)							**209828**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023							**NIL**
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2023							
Bank Account (Himachal Pradesh gramin Bank Chowari) 99288100063299"							**209828**

YEAR	Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2021-2022	**TOURISUM**	**258490**	**0**	**7050**	**265540**	**0**	**265540**
2022-2023	**TOTAL**	**265540**	**0**	**7242**	**272782**	**0**	**272782**
Total as per TOURISUM Cash Book as on 31.03.2023							**272872**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2023 (Detail Given Below)							**272872**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2023							**NIL**
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2023							
	SBI BANK CHOWARI A/C NO. 30812781034						

(iv) R.G.U.R.F. रोकड़ बही :-

YEAR		Name of Head	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving)	TOTAL	Expenditure	CLOSING BALANCE
2021-2022		Total	3107109	0	146838	3253947	0	3253947
2022-2023		Total	3253947	0	157595	3411542	0	3411542
Total as per R.G.U.R.F Cash Book as on 31.03.2023								3411542
Total as Per Bank Account as on 31-03-2023 (Detail given below)							822082	
FDR Amount as on 31-03-2023							2600000	
TOTAL							3422082	3422082
DIFFERENCE AS ON 31-03-2023								10540
Bank Reconciliation Statement								
Bank Balance as Per Cash Book								3411542
ADD:-								
Intrest credit by Bank but NOT entered in Cash Book AS ON 31-03-2023,								
HPSCB A/c No. 18010109761 As on 31-03-2023, entered in Cash Book on dated ,01-04-2023							10540	10540
TOTAL								3422082
DIFFERENCE AS ON 31-03-2023								NIL

(ख) दोहरी लेखा प्रणाली को न अपनाने बारे व अंतिम लेखें (आय व व्यय लेखें तथा तुलन पत्र) प्रस्तुत न करना :-

नगर पंचायत के लेखों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त निकाय द्वारा अंकेक्षण में संतुलन परीक्षण, आय –व्यय व तुलन पत्र (Balance Sheet) जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे लेखों की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका जबकि नगर परिषद अधिनियम- 1994 के अन्तर्गत नगर परिषद के लेखा नियमों (Accounts Mannual) के पैरा 27.4 अनुसार उपरोक्त समस्त वित्तीय विवरणीयाँ तैयार की जानी आवश्यक है तथा लेखों का लेखांकन दोहरी लेखा प्रणाली में किया जाना आपेक्षित है। दोहरी लेखा प्रणाली को न अपनाने बारे सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 30, दिनांक 25-04-2023 द्वारा इस आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अत : संतुलन परीक्षण, आय –व्यय व तुलन पत्र(Balance Sheet) से

सम्बन्धित अभिलेख को तैयार करके दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) रोकड़ बही को सत्यापित न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान सामान्य रोकड़ बही की पड़ताल उपरांत पाया गया कि रोकड़ बही संख्या 44 दिनांक 15-03-2021 से 26-06-2021, पृष्ठ संख्या 1 से 197 व रोकड़ बही संख्या 46 दिनांक 28-06-2021 से 18-09-2021, पृष्ठ संख्या 1 से 117 नगर पंचायत के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जोकि यह एक गम्भीर अनियमितता है। समान्य रोकड़ बही सत्यापित न करने वारे सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 48, दिंनाक 01-06-2023 द्वारा इस आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अत**:** रोकड़ बही को सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ)बैंक खातों के रख-रखाव बारे :-

नगर परिषद द्वारा अवधि 1-4-2021 से 31-3-2023 के दौरान पंचायत निधि के सात बचत खाते निजी बैंकों HDFC बैंक में खोल कर ₹15471336.50 राशि जमा की गई थी, जोकि वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन –आई ०एफ ०(ए)1-68/91 दिनांक 17.04.14 में वर्णित अनुदेशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि उक्त निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि सहकारी बैंकों मे निवेशित की जानी अपेक्षित है । अत: परिषद निधि की राशि को निजी बैंकों में रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उक्त वर्णित निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों की नजदीकी शाखा में नगर पंचायत निधि को रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त निदेशक शहरी विकास हि.प्र. के पत्र संख्या यू.डी.- एच (बी)(15)-2/91-III दिनांक 2/2013 द्वारा नगर पंचायतों को उन की राशि राज्य सरकार के सहकारी बैंकों मे जमा रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। परन्तु नगर परिषद द्वारा उपरोक्त निर्देशों पर पूरी तरह से अमल न करके, अधिकतम राशि को सहकारी बैंकों मे न रख कर निजी / राष्ट्रीयकृत बैंकों मे रखा जा रहा है। उपरोक्त दिशा निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में पंचायत निधि को सहकारी बैंकों मे रखना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड,) पैंशन व उपदान निधि :-

नगर पंचायत चुवाड़ी के पैंशन व उपदान निधि की अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक की वित्तीय स्थिती निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- "3** "में भी दिया गया है:-

वर्ष	अथ शेष	जमा राशि	कुल जमा	व्यय	अन्त शेष
2020-21	**9601685**	**973336**	**10575021**	**0**	**10575021**
2021-22	**10575021**	**823208**	**11398229**	**0**	**11398229**

अन्त शेष का विवरण

रोकड़ बही में दिनांक 31-03-2023 को अंत शेष **₹11398229**

बैंक में जमा शेष राशि बैंक खाता संख्या 18010117910 (H.P.S.C.) में 31-03-23 को जमा राशि **₹11398229**

(च) सामान्य भविष्य निधि, पैंशन तथा उपदान निधि के लेखों का रख –रखा व नियमानुसार न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-B-(1)-1/79 III दिनांक 25-04-2000 द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (पैंशन उपदान व सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000 अधिसूचित किये गए हैं। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को पैंशन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैंशन एवं उपदान (Gratuty) निधि की स्थापना करने की साथ -2 इसका रख-रखाव भी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस नियम की उप नियम (3) में यह भी प्रावधान किया गया है कि नगर पालिकाओं की समय वेतनमान की अधिकतम पर क्रमश: 12% व 5%की दर से पैंशन व उपदान का माह वार अभिदान उक्त पैंशन एवं उपदान निधि में जमा करवाएगी। उक्त नियमों के नियम 9 में प्रावधान किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख-रखाव भी निदेशक (शहरी विकास) द्वारा ही किया जाए। नगर परिषद की अंकेक्षण में पाया गया कि लेखों का रख-रखाव निदेशक कार्यालय की अपेक्षा स्वयं नगर पंचायत द्वारा ही किया जा रहा है जोकि उक्त नियमों के विपरीत है।

5 नगर पंचायत के तीन वर्षों का आय –व्यय का विवरण

नगर परिषद काँगड़ा द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद के गत तीन वर्षों अर्थात 2019-20 से 2021-22 तक के आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	स्व -स्त्रोत से आय (₹)	अनुदान राशि (₹)	कुल व्यय(₹)
2020-21	3468667	26409718	21464204.90
2021-22	3823522.57	22854102	23355080.06
2022-23	4905491.69	31744673	28128858 .00

6 निवेश

परिशिष्ट "4" के अनुसार दिनांक 31-03-23 को निवेश (FDRs) की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1.हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक (शाखा चुवाड़ी)

एफ.डी.आर. न. व बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि	व्याज दर	अवधि (वर्ष)	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि
2588045/HPSCB Chowari (RGURF) A/C no18030306762	09-12-2022	2600000	@6.35%	01 वर्ष	09-12-2023	2769073

7 अनुदान

(1) वित्तीय स्थिति

नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2021 से 3/2023 तक से सम्बंधित अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "5"** में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान प्राप्त (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2021-22	20769241.25	22854102	43623343.25	22421832.06	21201511.19
2022-23	21201511.19	31744673	52946184.19	25583865.20	27362318.99

(2) अनुदान की अनुपयुक्त ₹273.63 लाख का शेष :-

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट – "5"** पर अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त अनुदान की राशि मे से दिनांक 31-3-2023 को

₹27362318.99 /- की अनुपयुक्त राशि शेष थी , जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है ।इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी, को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 39, दिनांक 29-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अत: अनुपयुक्त राशियों को समयबद्ध प्रयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इन अनुपयुक्त राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्ही उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए , जिन उद्देश्यों हेतु यह प्राप्त की गयी है अन्यथा मामले में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(3) अनुदानों से व्यय ₹224.22 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "6"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹22421832 /-का व्यय दर्शया गया था लेकिन दिनांक 31-03-2023 तक अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में अनुदानों के उपयोग का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका। उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 39, दिनांक 29-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः इस बारे आपत्ति बारे स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । इस संबंध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण के समाप्ति तक नहीं दिया गया। अत :वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत करना तथा अन्य सरकारी अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 गृह कर की ₹19.58 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है, जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन नगर पंचायत को दिनांक 31/03/2023 तक कुल राशि ₹1958797 गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से दिया है:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	मांग	कुल मांग	प्राप्ति	अंतशेष
2021-22	1796007	1530193	3326200	1338177	1988023
2022-23	1988023	1599433	3587456	1628659	1958797

उपरोक्त दर्शाई गई राशि का विवरण **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है। यह एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। उक्त राशि की वसूली नियमित तौर पर न करने बारे सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29, दिंनाक 24-04-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाये व राजस्व आय (गृहकर) की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से प्रतिवर्ष वसूली जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 नव निर्मित मकानों के गृहकर का निर्धारण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 01/04/20 21 से 31/03/20 23 के दौरान नए नक़्शे पास किये गए थे। लेकिन इन मकानों पर अभी तक गृहकर का निर्धारण नहीं किया गया था, जिसके परिणाम- स्वरूप नगर पंचायत को गृहकर के रूप में वित्तीय हानि हो रही है जो नगर पंचायत की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा कार्य के प्रति उदासीनता दर्शाता है। अत: परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा भविष्य में नव-निर्मित मकानों की निर्धारित वार्षिक मूल्य पर प्रचलित दर से गृहकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि नगर पंचायत के अपने स्व-स्त्रोतों से आय में बढौतरी हो सके एवं किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन होने वाली हानि से भी बचा जा सके।

उक्त अवधि के दौरान पास किए गए नक्शों का विवरण निम्न प्रकार से है एवं पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	जितने नए नक़्शे पास किए गए
2021-22	40 नक़्शे
2022-23	49 नक़्शे

8.3 केवल 63 गृह कर दाताओं से ही ₹15.27 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31-03-23 को कुल बकाया गृह कर में से ₹1527645 /- केवल **परिशिष्ट "7 " –1** में वर्णित 63 गृहकर दाताओं से ही वसूली हेतु शेष थे| जोकि कुल बकाया गृह कर का 78 प्रतिशत बनता है। नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएँ समय-समय पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं, इसके बावजूद भी गृह कर की समय पर अदायगी न करना गम्भीर चिंता का विषय है। अत: नियमानुसार इन करदाताओं से गृह कर की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर उचित कदम उठाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

9. 1 दुकानों के किराये की ₹6.81 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों /स्टालों /खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है। तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढ़ाया गया है। तथा इनका किराया पंचायत की आय के मुख्य स्त्रोतों में से एक है । नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न दिया गया है एवं विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "8"** में दिया गया है; के अनुसार दिनांक 31/03/2023 तक किराये के रूप में ₹681317 (673517+7800) वसूली हेतु लम्बित थी।

(क) दुकानों का किराया

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**कुल मांग**	**प्राप्ति**	**अंतशेष**
2021-22	726340	323145	1049485	341923	707562
2022-23	707562	320220	1027782	354265	673517

(ख) Slaughter House का किराया

वित्तीय वर्ष	**अथशेष**	**मांग**	**कुल मांग**	**प्राप्ति**	**अंतशेष**
2021-22	4000	4800	8800	5800	3000
2022-23	3000	4800	7800	0	7800

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू ०एल०बी० एच०ए० -1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 के द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे लेकिन सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जो कि एक चिन्ताजनक विषय है । उक्त राशि की वसूली नियमित तौर पर बसूली न करने पर ; सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-29, दिंनाक 24-04-2023 व 47 दिनांक 1-

06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाये व राजस्व आय (दुकानों का किराया) की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से प्रति वर्ष वसूली जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 दुकानों के किराए में बढ़ौतरी न करना तथा अनुबंधों का नवीनीकरण न करना

नगर पंचायत चुवाड़ी के दुकान किराये से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर व लीज/ पट्टा अनुबन्ध की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि कुछ दुकानों को 20 व 25 वर्ष की लीज /पट्टे पर दिया गया है और कुछ दुकाने पुराने दुकानदारों को अनुबन्ध के आधार पर 11 महीने के लिए किराये पर दी गई थीं (परिशिष्ट 8 (I) व 8 (II)) व अनुबन्ध की शर्त संख्या 2 व 4 के अनुसार प्रत्येक 11 महीने उपरांत किराये में 2.5 % की बढौतरी व अनुबंध का नवीनीकरण करवाया जाना अपेक्षित था जोकि अनुबन्धों में निम्न प्रकार से वर्णित था :-

"That after eleven months from the date of agreement the lease rent shall be enhance by 2.5% of the amount being charge at the time of the signing of agreement ."

"That the lease shall be expired on the completion of 11 months and may be extended for that in accordance with these rules extended further subject to the fresh time limit."

वर्तमान अंकेक्षण में जाँच के दौरान पाया गया कि यद्यपि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में किराये की 5 वर्षो में ,10 प्रतिशत बढ़ौतरी की गई है; लेकिन फिर भी बढ़ौतरी अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार 11 माह उपरान्त 2.5 प्रतिशत बढ़ौतरी की बारे में कहा गया है। इस प्रकार कुल की गई बढ़ौतरी अपेक्षित बढ़ौतरी से कम है। इसके अत्तिरिक्त इन दुकानदारों से अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, जिस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 के पैरा संख्या -10 में भी किराये पर दी गई दुकानों के अनुबंधों के नवीकरण बारे आपत्ति लगाई गई थी, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही अम्ल में नहीं लाई गई । यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है । वर्तमान में यह सभी अनुबन्ध क़ानूनी रूप से समाप्त हो चुके हैं जिनका विवरण **परिशिष्ट "8(I)"** में दिया गया है । अत: नगर पंचायत प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि यथाशीघ्र पुराने दुकानदारों जिनकी अनुबन्ध अवधि समाप्त हो गई है, से पुन: नए अनुबन्ध किए जाए ताकि भविष्य में होने वाले किसी क़ानूनी विवाद से बचा जा सके। इसके

अतिरिक्त शेष दुकानों को 20 व 25 वर्ष के लीज/पट्टे पर दिया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "8(II)"** में दिया गया है ।

अत: यह मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि नगर पंचायत-चुवाड़ी को उपरोक्त कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किए जाए और जिम्मेवारी निर्धारित की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की चूक को न दोहराया जा सके ।

10 विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹1. 81 लाख वसूली हेतु शेष

मोबाइल टावरों के रजिस्टरों की जांच में पाया कि दिनांक 31/03/2023 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस के रूप में राशि ₹108363 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

बी.एस.एन.एल.टॉवर.	81097
एयरटेल टॉवर	33201
वोडाफोन टावर	67065
कुल योग	₹181363

उपरोक्त वर्णित राशि का विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "9"** में दिया गया है। उक्त राशि की वसूली नियमित तौर पर न करने पर ; सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी को अंकेक्षण अधियाचना संख्या- 30, दिंनाक 25-04-2023 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव नगर पंचायत चुवाड़ी के द्वारा कोई भी उत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं दिया गया। जोकि उक्त संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाये व राजस्व आय (मोबाइल टावर फीस) की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर नियमित तौर से प्रतिवर्ष वसूली जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. अम्बेदकर भवन के किराये की राशि ₹0.08 लाख की कम वसूली करने बारे

अंकेक्षण के दौरान अम्बेदकर भवन किराया रजिस्टर की जाँच उपरान्त पाया गया कि, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान निम्नविवरणनुसार अम्बेदकर भवन के किराये की राशि ₹8500 की कम वसूली की गई। जिससे की संस्था को राशि की वित्तीय हानि हुई है। नगर पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या - 60 दिंनाक 22-02-2021 में अनुसूचित जाति के लिये ₹2000 प्रति दिन एवं सामान्य व अन्य वर्ग के लिये ₹4000 प्रति दिन के हिसाब से तय किये गये थे। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48 दिंनाक 01-06-2023 के

अंतर्गत उक्त राशि को जमा करवाने अथवा स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गम्भीर चूक है । अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस राशि को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाये व भविष्य में इस प्रकार के अनियमितिता की पुनरावृत्ति न की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**बुकिंग की तिथि**	**नाम व पता**	**वर्ग व किराया प्रति दिन**	**वसूली गई राशि व G-8**	**कम वसूली गई राशि**
1.	30-04-21	अश्वनी कुमार वार्ड न -3 चुवाड़ी	अनुसूचित जाति /2000	1500 297/50	500
2.	22-05-21	राज कुमार रायपुर तहसील भटियात	सामान्य /4000	3000 299 /49	1000
3.	07-09-21	CDPO कार्यालय चुवाड़ी	सामान्य /4000	2000 327/6	2000
4.	23-02-22	करीम वक्श वार्ड न -1 चुवाड़ी	सामान्य /4000	3000 345/50	1000
5.	29-06-22	निर्मल पाण्डेय वार्ड न -3 चुवाड़ी	सामान्य /4000	2000 366/46	2000
6.	08-03-22	CDPO कार्यालय चुवाड़ी	सामान्य /4000	2000 347/10	2000
		कुल योग			₹8500

12. निर्माण कार्य

(क) सविंदाकार को ₹0.42 लाख का अधिक भुगतान वारे।

वाउचर संख्या –09 दिनांक 07-03-2022 ₹3,04,139 /-

अनुमानित राशि	₹210260 /-
आवंटित राशि	₹348750 /-
कार्य का नाम	R/O path in Ward no -2
अनुबंध पत्र संख्या	1350-52 ,Dt: 18-11-2021

प्रतिशत	1 4.96% (Above HPSR-2020)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	19/19-21
विल संख्या	Ist & Final Bill
सविंदाकार का नाम	Sh V idul Sharma Govt Contractor

अतिरिक्त कार्य जोडे जाने के कारण सविंदाकार को ₹41363/- का अधिक भुगतान किये जाने वारे ।

उपरोक्त वाउचर से सविंदाकार को " R/O Path near Brige to Naseeb Singh House ward no -2" हेतु ₹304139 /- का भुगतान किया गया था। इस भुगतान की अंकेक्षण में पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबंध की मद संख्या 1 से 3 में वार्ड न-07 नजदीक Dinesh house के कार्य को जोड़े जाने के कारण सविंदाकार को ₹41363/- का अधिक भुगतान किया गया जोकि उक्त अनुबन्ध का भाग नहीं था । अधिक भुगतान का विवरण निम्न दिया गया है। अत: ₹41363/- के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

अधिक भुगतान का विवरण

Description of Item	Quantity paid	Actual Qty Executed .Which should be paid to the Contractor	Excess Qty	Rate	Total Excess Payment
Item no 1-Eart work in surface excavation not exceeding 30 cm in depth but exceeding 1.5 cm in width etc	198.04 m2	171.36m2	26.68	100per sq mtr	2668
Item no 2-P/Lin position cc1:4:8 cement concrete 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size and curing complete	22.42m2	19.75 m2	2.67 m2	4600 per sq mtr	12282
Item no -3 P/l	233.21 m2	206.68 m2	26.68m	990 per	26413

factory made cement concrete paver blocks in foot path on light traffic etc			2	sq mtr	
				Total	₹41363

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 29- 05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गम्भीर चूक है। अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस ₹ 41363 की उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई सुनिशिचित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

(ख) निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री बिलों में से रॉयल्टी की राशि ₹0.28/- लाख कटौती न करना

चयनित माहों में निर्माण कार्यों के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत माप पुस्तिकयों में दर्ज की गई प्रविष्टि यों से निम्न विवरणनुसार हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (क्न्सेस्न) नियम 1971 का निरसनं कर हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल (क्न्सेस्न)एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन आफ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोटेर्शन एवं स्टोरेज) नियम 2015 के अनुसार ₹80 प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्माण कार्यों में उपयोग की गई व क्रय की गई सामग्री से रॉयल्टी राशि ₹28500/- की कटौती नहीं की गई थी और न ही खरीदी गई निर्माण सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर) के सन्दर्भ में कि आपूर्तिकर्ता द्वारा रॉयल्टी का भुगतान किया गया है अर्थात एम फार्म अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गये। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

क्रम स०	आपूर्तिकर्ता	वा०स० /दिनांक/ बिल स०	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मी०टन)	रॉयल्टी प्रति मी०टन	राशि (₹)
	मैसर्ज मातुल शर्मा चुवाड़ी	31/25-3-22	रेत	-	44.54	1.60	71.26	80	5700
			बजरी	-	84.24	1.46	123	80	9840
			पत्थर (गोला)	-	72.34	2.24	162	80	12960
					कुल योग				**₹28500**

उपरोक्त निर्माण सामग्री निम्नलिखित कार्यों में प्रयोग की गई थी

1. Repair and construction of park from main road Surinder singh house to gandi singh house w-03 chowari M.B.20 page -02
2. Repair and construction of path /retaining wall /drains in ward no 1,2,4,5 M.B.20 p-4
3. P/L c. c. 1:3:6 20 mm aggregates in nominal size in w no -02 M.B.no 20 p-8
4. Retaining wall near Parkash house to Jodh singh house w no -04 M.B.no 20 p-6
5. Repair of drain near Red Cross Lab and path in w no -05 M.B.no 20 p-6
6 .R/C of Path, stairs /drains in w no 6 & 7 M.B.no 20 p-10.

अतः न तो फार्म 'एम' अंकेक्षण में प्रस्तुत करना न ही नगर पंचायत द्वारा रॉयल्टी की कटौती करना एक गम्भीर अनियमितता है सम्भवतः उपरोक्त प्रकरण में रॉयल्टी की कटौती न करके एक ओर आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान किया गया है तथा दूसरी तरफ सरकारी आय की भी प्रत्यक्ष रूप से हानि हुई है। अतः पूर्ण प्रकरण की छानबीन करके उपरोक्त विवरणानुसार ₹28500/- सरकारी कोष के सम्बन्धित आय शीर्षक में जमा करवाए जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार कार्यों को समय पर पूर्ण न करने के कारण सविंदाकारों से देय दण्ड ₹0.6 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत चुवाड़ी के निर्माण कार्यों में सविंदा -कारों ने आबंटन पत्रों की शर्त -4 के अनुसार कार्य 2 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित था अन्यथा आबंटन पत्र की शर्त -4 के अनुसार यदि सविंदाकार निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण नही करता है तो नियत तिथि के उपरांत 10 दिन तक ₹1000/- व उसके उपरांत अधिकतम ₹20000/- दण्ड शुल्क वसूली की जानी थी। परन्तु नगर पंचायत द्वारा निम्न कार्यों के देरी से निष्पादन करने के फलस्वरूप भुगतान करने पर सम्बन्धित सविंदाकारों से दण्ड शुल्क ₹60000 की वसूली नही की गई है जोकि आपत्तिजनक था ।

क्रम सं	कार्य का विवरण	सविंदाकार का नाम	आबंटित राशि (₹)	आबंटन पत्र सं व दिनांक / कार्य पूर्ण की तय समय सीमा	माप पुस्तिका सं	कार्य समाप्ति / कार्य पूर्ण करने की दिनांक	वसूली योग्य विलम्ब शुल्क (₹)
1	Repair of Path from Brige to Naseeb singh house w-2	Vidul Sharma	348750	1350/ 18-11-21 2 months	19/P 19-21	17-01-22 /19-2-022	20000

2	C/O Path near Smt Pinki Devi house to Parkash house w-1	Sunny Seikh Chowari	71743	2144/ 21-11-20 2 months	11/p 41-43	20-01-21 /22-2-22	20000
3	R/O path from petrol pump to employment exchange w-2	Parhlad Singh jangla	115830	1347/ 18-11-21 2 months	19/p-18	17-1-22 /18-2-22	20000
						Total	₹60000

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 38 दिनांक 29- 05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गम्भीर चूक है। अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस ₹60000 की उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाई सुनिशिचित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

(घ) कर्मचारी अंशदान निधि (EPF) को जमा करवाए बिना सविंदाकार को भुगतान वारे

अंकेक्षण के दौरान पड़ताल उपरांत पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों के अवार्ड पत्रों की शर्त 19 अनुसार ठेकेदार को भुगतान करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा कर्मचारी अंशदान निधि को जमा किया जाना अनिवार्य था जिसके बिना भुगतान नही किया जा सकता था । जबकि इन निर्माण कार्यों के लिए सविंदाकार को भुगतान बिना कर्मचारी अंशदान निधि को जमा किये कर दिया गया जोकि अनियमित था।

कार्य का नाम	**अवार्ड पत्र सं**	**सविंदाकार का नाम**	**माप पुस्तिका पृष्ठ सं**	**कुल बिल राशि**
Repair of Path from Brige to Naseeb singh house w-2	1350/ 18-11-21	Vidul Sharma	19 page 19-21	₹304139
C/O Path near Smt Pinki Devi house to Parkash house w-1	2144/ 21-11-20	Sunny Sheikh	11 page 41-43	₹93162
R/O path from petrol pump to employment exchange w-2	1347/ 18-11-21	Parlahd Singh	19 page- 18	₹115830

C/O Retaining wall behnd H/o Narla Devi w-2 chowari	24/4-1-22	Matul Sharma	19 page-22-25	₹110441
C/O Protection wall & gate in Kabristan w-2	26/4-1-22	Sunny Sheikh	19 page-32-35	₹240421
R/o path from H/o Man Singh to Angrej Singh w-3	25/4-1-22	Bikrant	19 page-37-38	₹284848

अतः ये सुनिश्चित किया जाए कि क्या ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्त अनुसार कर्मचारी अंशदान निधि में अंशदान जमा करवाया है यदि हो तो इस संदर्भ में समर्थित दस्तावेज/अभिलेख प्राप्तकर, अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए यदि नहीं तो इस सन्दर्भ में ठेकेदार के विरुद्ध अथवा सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार उचित कार्यवाही की जानी आपेक्षित है। अतः की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 स्थापना

13.1 गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹1.60 लाख का अधिक भुगतान

नगर पंचायत चुवाड़ी की सेवा पंजिकाओं कि पड़ताल उपरांत पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2022 के अंतर्गत कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया गया था जिस में निम्न विवर णानुसार कर्मचारियों का वेतन गलत निर्धारण किया गया प्रतीत होता है परिणामस्वरूप ₹159796 का अधिक भुगतान किया गया है जिसको नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान की राशि को वसूल करके नगर पंचायत निधि में जमा किया जाए व तदानुसार वेतन निर्धारण करके, सेवा पंजिकाओं में वेतन निर्धारण इन्द्राज किये जाएँ।

(i) Name of official Smt Poonam Devi

Designation Safai Karamchari

Date of Regularization 05-08-2010

Pay Band as per HPSC (RP) Rules 2009 PB-1(iv)(4900-10680)+ 1300 Grade Pay

Factor opted the pay fixation 2.59 , Date 1-1-2016

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680 Pay Matrix level -1,cell-4 as on 1-1-2016 in lavel 1 =**7600x2.59 =19684**

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680) Pay Matrix level -1,cell-4 as on1-1-2016 in lavel 1(either equal to or next higher to 19700 in level1 ,cell 4) =19700

pay should be fixed as under:-

Date	Pay fixed by N.P.Cowari	Pay to be fixed as per rule	Remarks
01-01-2016	**19700**	**19700**	
01-08-2016	**20300 (Annual Increment)**	**20300**	
01-08-2017	**20900(Annual Increment)**	**20900**	
01-08-2018	**21500 (Annual Increment)**	**21500**	
01-08-2019	**22100(Annual Increment)**	**22100**	
05-08-2019	**22800 (A.C.P.after completion of 9 Years)**	**Nil**	**A.C. P.not admissible because two enhancement already given to the pessonnel due to revised grade pay w.e.f 01.10.2012 G.P. `₹1650/- instead of `₹1300/-GP**
01-08-2020	**23500(Annual Increment)**	**22800**	
01-08-2021	**24200(Annual Increment)**	**23500**	
01-08-2022	**24900(Annual Increment)**	**24200**	

(ii) Name of official SH.VijayKumar

Designation Safai Karamchari

Date of Regularization 01-03-2012

Pay Band as per HPSC (RP) Rules 2009 PB-1(iv)(4900-10680)+ 1300 Grade Pay

Factor opted the pay fixation 2.59 , Date 1-1-2016

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680 Pay Matrix level -1,cell-2 as on 1-1-2016 in lavel 1 =**7150x2.59 =18518.50**

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680) Pay Matrix level -1,cell-2 as on1-1-2016 in lavel 1(either equal to or next higher to 19100 in level1 ,cell 2) =19100

pay should be fixed as under:-

Date	**Pay fixed by N.P.Cowari**	**Pay to be fixed as per rule**	**Remarks**
01-01-2016	**19100**	**19100**	
01-03-2016	**19700 (Annual Increment)**	**19700**	
01-03-2017	**20300(Annual Increment)**	**20300**	
01-03-2018	**20900 (Annual Increment)**	**20900**	
01-03-2019	**21500(Annual Increment)**	**21500**	
01-03-2020	**22100(Annual Increment)**	**22100**	
01-03-2021	**22800(Annual Increment)**	**22800**	
01-03-2021	**23500 (A.C.P.after completion of 9 Years)**	**Nil**	**A.C. P.not admissible because two enhancement already given to the pessonnel due to revised grade pay w.e.f 01.10.2012 i.e. ₹1650/- instead of ₹1300/-GP**
01-03-2022	**24900(Annual Increment)**	**23500**	

(iii) Name of official Smt Kailash Devi

Designation Safai Karamchari

Date of Regularization 18-11-2008

Pay Band as per HPSC (RP) Rules 2009 PB-1(iv)(4900-10680)+ 1300 Grade Pay

Factor opted the pay fixation 2.59 , Date 1-1-2016

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680 Pay Matrix level -1,cell-6 as on 1-1-2016 in lavel 1 =**8050x2.59 =20849.50**

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -1(4900-10680) Pay Matrix level -1,cell-6 as on1-1-2016 in lavel 1(either equal to or next higher to 20200 in level1 ,cell 6) =20900

pay should be fixed as under:-

Date	**Pay fixed by N.P.Cowari**	**Pay to be fixed as per rule**	**Remarks**
01-01-2016	**20900**	**20900**	
01-11-2016	**21500 (Annual Increment)**	**21500**	
01-11-2017	**22100(Annual Increment)**	**22100**	
18-11-2017	**22800 (A.C.P.after completion of 9 Years)**	**Nil**	**A.C. P.not admissible because two enhancement already given to the pessonnel due to revised grade pay w.e.f 01.10.2012 G.P. `₹1650/- instead of `₹1300/-GP**
01-11-2018	**23500(Annual Increment)**	**22800**	
01-11-2019	**24200 (Annual Increment)**	**23500**	
01-11-2020	**24900(Annual Increment)**	**24200**	
01-11-2021	**25600(Annual Increment)**	**24900**	
01-11-2022	**26400(Annual Increment)**	**25600**	

(iv) Name of official SH.Narinder Singh

Designation Driver

Date of Regularization 31-03-2017

Pay Band as per HPSC (RP) Rules 2009 PB-2(iii)(5910-20200)+ 2000 Grade Pay

Factor opted the pay fixation 2.59 , Date 1-1-2016

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -2(5910-20200 Pay Matrix level -5,cell-1 as on 1-1-2016 in =**7810x2.59 =20227.90**

Pay fixed in level HPSC(Revised Pay) Rules ,2009 Pay band -2(5910-20200) Pay Matrix level -5,cell-1 as on1-1-2016 (either equal to or next higher to 21300 in level5 ,cell 1) =**21300**

Pay should be fixed as under:-

<table>
<tr><th>Date</th><th>Pay fixed by N.P.Cowari</th><th>Pay to be fixed as per rule</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>31-03-2017</td><td>21300</td><td>21300</td><td></td></tr>
<tr><td>01-03-2018</td><td>21900 (Annual Increment)</td><td>21900</td><td></td></tr>
<tr><td>01-03-2019</td><td>22600(Annual Increment)</td><td>22600</td><td></td></tr>
<tr><td>01-03-2020</td><td>23300 (Annual Increment)</td><td>23300</td><td></td></tr>
<tr><td>01-03-2021</td><td>24000(Annual Increment)</td><td>24000</td><td></td></tr>
<tr><td>31-03-2021</td><td>25600 (A.C.P.after completion of 4 Years)</td><td>Nil</td><td rowspan="3">A.C. P.not admissible as the orders/DPC for allowing the same nd-put-up to Audit, So without completing the process of ACP the same is not payable</td></tr>
<tr><td>01-03-2022</td><td>26400(Annual Increment)</td><td>25600</td></tr>
<tr><td colspan="3">उपरोक्त कर्मचारियों की गणना निम्न तालिका अनुसार की गई है जिसमें अधिक पाया गया है</td></tr>
</table>

ARREAR CALCULATION SHEET										
Name of Official/Employee: Poonam Devi										
Disignation: Safai karamchari										
	MONTH	**DUE**				**DRAWN**			**Total**	**Recovery**
		Basic Pay	**DA Rate**	**DA**	**Total**	**Basic Pay**	**DA Rate**	**DA**		
8	Aug-19	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
9	Sep-19	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
10	Oct-19	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
11	Nov-19	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
12	Dec-19	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
1	Jan-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
2	Feb-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
3	Mar-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819

4	Apr-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
5	May-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
6	Jun-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
7	Jul-20	22100	17%	3757	25857	22800	17%	3876	26676	-819
8	Aug-20	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
9	Sep-20	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
10	Oct-20	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
11	Nov-20	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
12	Dec-20	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
1	Jan-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
2	Feb-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
3	Mar-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
4	Apr-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
5	May-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
6	Jun-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
7	Jul-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
8	Aug-21	23500	31%	7285	30785	24200	31%	7502	31702	-917
9	Sep-21	23500	31%	7285	30785	24200	31%	7502	31702	-917
10	Oct-21	23500	31%	7285	30785	24200	31%	7502	31702	-917
11	Nov-21	23500	31%	7285	30785	24200	31%	7502	31702	-917
12	Dec-21	23500	31%	7285	30785	24200	31%	7502	31702	-917
1	Jan-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
2	Feb-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
3	Mar-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
4	Apr-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
5	May-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
6	Jun-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
7	Jul-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
8	Aug-22	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
9	Sep-22	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
10	Oct-22	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
11	Nov-22	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
12	Dec-22	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
1	Jan-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
2	Feb-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938

3	Mar-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
4	Apr-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
									Total	**-39347**

ARREAR CALCULATION SHEET										
Name of Official/Employee : Kailash Devi										
Disignation Safai Karamchari										
	MONTH	DUE				DRAWN				Recovery
		Basic Pay	DA Rate	DA	Total	Basic Pay	DA Rate	DA	Total	
11	Nov-17	22100	5%	1105	23205	22800	5%	1140	23940	-735
12	Dec-17	22100	5%	1105	23205	22800	5%	1140	23940	-735
1	Jan-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
2	Feb-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
3	Mar-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
4	Apr-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
5	May-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
6	Jun-18	22100	7%	1547	23647	22800	7%	1596	24396	-749
7	Jul-18	22100	9%	1989	24089	22800	9%	2052	24852	-763
8	Aug-18	22100	9%	1989	24089	22800	9%	2052	24852	-763
9	Sep-18	22100	9%	1989	24089	22800	9%	2052	24852	-763
10	Oct-18	22100	9%	1989	24089	22800	9%	2052	24852	-763
11	Nov-18	22800	9%	2052	24852	23500	9%	2115	25615	-763
12	Dec-18	22800	9%	2052	24852	23500	9%	2115	25615	-763
1	Jan-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
2	Feb-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
3	Mar-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
4	Apr-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
5	May-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
6	Jun-19	22800	12%	2736	25536	23500	12%	2820	26320	-784
7	Jul-19	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
8	Aug-19	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
9	Sep-19	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
10	Oct-19	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
11	Nov-19	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
12	Dec-19	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819

1	Jan-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
2	Feb-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
3	Mar-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
4	Apr-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
5	May-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
6	Jun-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
7	Jul-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
8	Aug-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
9	Sep-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
10	Oct-20	23500	17%	3995	27495	24200	17%	4114	28314	-819
11	Nov-20	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
12	Dec-20	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
1	Jan-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
2	Feb-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
3	Mar-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
4	Apr-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
5	May-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
6	Jun-21	24200	17%	4114	28314	24900	17%	4233	29133	-819
7	Jul-21	24200	31%	7502	31702	24900	31%	7719	32619	-917
8	Aug-21	24200	31%	7502	31702	24900	31%	7719	32619	-917
9	Sep-21	24200	31%	7502	31702	24900	31%	7719	32619	-917
10	Oct-21	24200	31%	7502	31702	24900	31%	7719	32619	-917
11	Nov-21	24900	31%	7719	32619	25600	31%	7936	33536	-917
12	Dec-21	24900	31%	7719	32619	25600	31%	7936	33536	-917
1	Jan-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
2	Feb-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
3	Mar-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
4	Apr-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
5	May-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
6	Jun-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
7	Jul-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
8	Aug-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
9	Sep-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
10	Oct-22	24900	34%	8466	33366	25600	34%	8704	34304	-938
11	Nov-22	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072

12	Dec-22	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072
1	Jan-23	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072
2	Feb-23	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072
3	Mar-23	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072
4	Apr-23	25600	34%	8704	34304	26400	34%	8976	35376	-1072
									Total	**-₹40151**

ARREAR CALCULATION SHEET										
Name of Official/Employee: Vijay Kumar										
Disignation : Safai Karamchari										
	MONTH	DUE				DRAWN				Recovery
		Basic Pay	DA Rate	DA	Total	Basic Pay	DA Rate	DA	Total	
3	Mar-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
4	Apr-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
5	May-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
6	Jun-21	22800	17%	3876	26676	23500	17%	3995	27495	-819
7	Jul-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
8	Aug-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
9	Sep-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
10	Oct-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
11	Nov-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
12	Dec-21	22800	31%	7068	29868	23500	31%	7285	30785	-917
1	Jan-22	22800	34%	7752	30552	23500	34%	7990	31490	-938
2	Feb-22	22800	34%	7752	30552	23500	34%	7990	31490	-938
3	Mar-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
4	Apr-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
5	May-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
6	Jun-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
7	Jul-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
8	Aug-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
9	Sep-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
10	Oct-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
11	Nov-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
12	Dec-22	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938

1	Jan-23	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
2	Feb-23	23500	34%	7990	31490	24200	34%	8228	32428	-938
3	Mar-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
4	Apr-23	24200	34%	8228	32428	24900	34%	8466	33366	-938
									Total	**-₹23786**

ARREAR CALCULATION SHEET										
Name of Official/Employee : Narender Kumar										
Disignation: Driver										
	MONTH	DUE				DRAWN				Recovery
		Basic Pay	DA Rate	DA	Total	Basic Pay	DA Rate	DA	Total	
3	Mar-21	24000	17%	4080	28080	25600	17%	4352	29952	-1872
4	Apr-21	24000	17%	4080	28080	25600	17%	4352	29952	-1872
5	May-21	24000	17%	4080	28080	25600	17%	4352	29952	-1872
6	Jun-21	24000	17%	4080	28080	25600	17%	4352	29952	-1872
7	Jul-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
8	Aug-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
9	Sep-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
10	Oct-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
11	Nov-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
12	Dec-21	24000	31%	7440	31440	25600	31%	7936	33536	-2096
1	Jan-22	24000	34%	8160	32160	25600	34%	8704	34304	-2144
2	Feb-22	24000	34%	8160	32160	25600	34%	8704	34304	-2144
3	Mar-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
4	Apr-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
5	May-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
6	Jun-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
7	Jul-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
8	Aug-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
9	Sep-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
10	Oct-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
11	Nov-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
12	Dec-22	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
1	Jan-23	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278

2	Feb-23	24700	34%	8398	33098	26400	34%	8976	35376	-2278
3	Mar-23	25400	34%	8636	34036	27200	34%	9248	36448	-2412
4	Apr-23	25400	34%	8636	34036	27200	34%	9248	36448	-2412
									Total	**-₹56512**

उपरोक्त कर्मचारियों का गलत वेतन निर्धारण से सम्बन्धित गणना तालिका निम्न प्रस्तुत की गई है। इस गणना तालिका अनुसार निम्न विवरणानुसार उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि, अंकेक्षण समाप्ति अर्थात अप्रैल, 2023 तक सम्भावित अधिक भुगतान की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा पूर्ण अभिलेख की छानबीन करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**कर्मचारी का नाम व पदनाम**	**अधिक भुगतान (दिनांक 30.04.2023 तक)**
1	श्रीमती पूनम देवी, सफाई कर्मचारी	39317
2	श्रीमती कैलास देवी, सफाई कर्मचारी	40151
3	श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी	23786
4	श्रीमती नरेंद्र सिंह, चालक	56512
		159796

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40 दिनांक 29-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गम्भीर चूक है । अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस **₹159796** की उचित स्त्रोत से वसूल करके नगर पंचायत निधि खाते में जमा करवाई सुनिशिचित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए ।

13.2 स्थापना पर किया गया ₹ 1.73 लाख का अधिक व्यय

नगर पंचायत चुवाड़ी की बजट प्रावधान एवं स्थापना व्यय की जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1994 के अनुच्छेद 53 (प)(ब) के अनुसार स्थापना पर व्यय ,कुल व्यय का 1/3 भाग से कम राशि व्यय करने का प्रावधान है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त नियम के अवहेलना करके निम्न विवरणानुसार कुल **₹173403** का अधिक व्यय स्थापना किया गया है। जोकि नियमविरुद्ध है। अत: उक्त अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत

करवाया जाये। नगर पंचायत चुवाड़ी के गत दो वर्षों के बजट प्रावधान एवं स्थापना पर किए गए व्यय का विवरण **परिशिष्ट "10"** के अनुसार निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	कुल बजट	बजट के विरुद्ध वास्तविक व्यय	स्थापना पर किया गया व्यय	वास्तविक व्यय का एक तिहाई व्यय	स्थापना पर व्यय की गई अधिक राशि
2021- 22	82811400.95	23355080	6663043	7785026	nil
2022-23	87861088.46	28128858	9549689	9376286	173403
कुल योग	**₹170672489.41**	**₹51483938**	**₹16212732**	**₹17161312**	**₹173403**

14 ₹2.94 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे।

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के वाउचर संख्या 5, दिनांक 5-3-22 व 11, दिनांक 02-04-2022 द्वारा मै० ग्लोबल सैनिटेशन सर्विस चम्बा को ₹294600 (₹145800+₹148800) का नगर पंचायत क्षेत्र में सफाई का कार्य करवाने हेतु भुगतान दर्शया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई है।

1 सफाई का कार्य करवाने हेतु ग्लोबल सैनिटेशन सर्विस चम्बा के भुगतान से सम्बन्धित बिल सलंग्न नही है जिससे किए गए भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी ।

2. उपस्थिति चार्ट जिस के अंतर्गत (486 man days@300) व (4 96 man days@300) का भुगतान किया गया है वाउचर के साथ सलंग्न नहीं है व सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित भी नहीं है।

3. E.P.F. की कटौती से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज सलंग्न नही है।

4. फर्म को आबंटित किये गए कार्य से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया गया।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 37 दिनांक 18-05-2023व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता। अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त बिल/वाउचर व अन्य अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाये जाने सुनिश्चित किये जाएँ। अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से बसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

15 वाहन संख्या HP 57 A0204 लॉग बुक में गलत गणना के कारण 8.56 लीटर डीजल की हानि

अंकेक्षण के दौरान संस्था के वाहन संख्या HP 57 A0204 की लॉग बुक की जाँच उपरांन्त पाया गया कि निम्नविवरणनुसार 74 किलोमीटर की गलत गणना के कारण संस्था को डीजल के रूप में कुल 13.50 लीटर की हानि हुई है। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 42 दिनांक 29-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। परन्तु सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यंत गम्भीर चूक है। अत: नगर पंचायत कार्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर छानबीन उपरांत इस ₹1155 की उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई सुनिशिचित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

माह/ वर्ष	अथशेष	माह में इंधन डाला गया	योग	कि0मी0 (एक माह में)	औसत प्रति कि० मी०/ माह	प्राप्त औसत	अग्रेषित की गई मात्रा	वास्तव मै जो अग्रेषित की जानी थी	अन्तर	राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7(5÷6)	8	9	10 (9-8)	10
03/20	9.17	120	129.17	656	5.50	119.27	7.90	9.90	2	171
05/20	37.90	120	157.90	847	5.50	154.00	1.90	3.90	2	171
02/21	26.70	90	116.70	432	5.5	78.50	28.70	38.20	9.5	813
कुल योग	73.77	330	403.77	1935		351.77	38.50	52.0	13.5	1155

16 गाड़ी न० –एच ० पी० 57 A-0204 की मुरम्मत पर ₹0. 27 लाख के भुगतान करने पर सम्भावित हानि वारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा वाउचर संख्या 29, दिनांक 21-4-22 द्वारा **गाड़ी न० –**एच ० पी० 57 A-0204 की मुरम्मत का कार्य मैसर्ज धीमान बॉडी रिपेयर वर्क्स जी० टी० रोड चत्रोली जसूर को उनके बिल संख्या 08 दिनांक 27-06-2020 हेतु **₹26800** का भुगतान किया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई।

1.नगर पंचायत चुवाड़ी ने पत्र संख्या 864-866 दिनांक 10-06-20 द्वारा गाड़ी नं-एच .पी .57A-0204 की मुरम्मत करवाने के लिए निविदायें (N.I.Q.) आमंत्रित की गई थी जिसमे तीन फ़र्मों मैसर्ज धीमान बॉडी रिपेयर वर्क्स जी० टी० रोड चत्रोली जसूर ,कृष्णा मोटर्स गैरेज जाच नूरपुर व उत्तम

बॉडी बिल्डर जसूर ने भाग लिया तथा मैसर्ज धीमान बॉडी रिपेयर वर्क्स जी० टी० रोड चत्रोली जसूर की दरें कम होने पर नगर पंचायत ने कार्य आदेश संख्या 883 दिनांक 16-6-20 उक्त फ़र्म से कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु फ़र्मों की निविदयों की पड़ताल पर पाया गया कि सभी निविदाएँ दस्ती प्राप्त की गई थी और किसी भी निविदा पर GST नं अंकित नहीं था। इससे यह प्रतीत होता है कि फ़र्मों को पुल करके अनुचित लाभ पहुंचाया गया है जोकि अनियमित है

2. मुरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में करवाया गया है तो भुगतान भी उसी वर्ष में किया जाना अपेक्षित था। अत: वर्ष 2022-23 में किया गया भुगतान कालातीत प्रतीत होता है
3. 14वें वित्त अयोग से गाड़ी की मुरम्मत से सम्बन्धित भुगतान का प्रावधान व अधिकृत विक्रेता से मुरम्मत का कार्य न करवाने का औचित्य भी तथ्यों सहित स्पष्ट करें
4. मैसर्ज धीमान बॉडी रिपेयर वर्क्स जी० टी० रोड चत्रोली जसूर द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या 8 ,दिनांक 27-6-20 पर भी gst नं अंकित नही है जोकि अनियमित प्रतीत होता है

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 45 दिनांक 30-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता। अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए , अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

17 Street Lights की मुरम्मत/रख-रखाव हेतु ₹1.32 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 04/2022 के व्यय वोउचरों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट की मुरम्मत हेतु श्री राजेश कुमार को राशि ₹131808/- का भुगतान माह मार्च /2022 व फ़रवरी /2023 हेतु किया गया था ज बकि नगर परिषद की स्ट्रीट लाइट्स की रख-रखा व के लिये नगर पंचायत चुवाड़ी व मैसर्ज EESL के मध्य LEDStreet Lights Project के नाम से 7 वर्षों के लिये MOU किया गया है। जिसके अंतर्गत समस्त स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत एवं रख-रखा व से सम्बंधित समस्त कार्य मैसर्ज EESL द्वारा किया जाना अपेक्षित था तथा इसके कारण के अंतर्गत उक्त वाउचरों में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत हेतु नगर पंचायत द्वारा अपने स्तर पर किया गया भुगतान उचित प्रतीत नही होता है । चय नित माह के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत हेतु किए गए अनियमित भुगतान का विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम स०	वा० स०/दिनांक	माह	राशि (₹)
1	16/05.04.22	03/22	10984
2	10/04.05.2	04/22	10984
3	09/10.06.22	05/22	10984
4	30/27.07.22	06/22	10984
5	निल/11.08.22	07/22	10984
6	03/01.09.22	08/22	10984
7	16/20.10.22	09/22	10984
8	09/14.11.22	10/22	10984
9	08/04.12.22	11/22	10984
10	02/18-01-23	12/22	10984
11	01/25.03.23	01/23	10984
12	निल	02/23	10984
		कुल योग	**₹131808**

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 44 दिनांक 30-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। उपरोक्त किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा रख रखाव का अनुबंध (MOU) होते हुए भी नगर पंचायत स्तर पर करवाए गये मुरम्मत कार्य `₹131808/- की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18. नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा MMSGAY के अंर्गत ₹2.87 लाख के भुगतान करने पर अनियमितता बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा वाउचर संख्या 15 ,दिनांक 5-4-22 को मुख्यमन्त्री, शहरी आजीविका योजना के अंतर्गत **₹287100** (957 man days@300) का भुगतान किया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई ।

1. निदेशक,शहरी विकास विभाग शिमला- *02* के पत्र संख्या –यूडी-एच(एफ)Misc-MMSGAY. II ... 6701-6754 दिनांक 01-04-2022 की अनुपालना में उक्त योजना के खंड -7 के अनुसार सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा मजदूरी पर लगाये गए मजदूरों का दैनिक रिकॉर्ड रखना व पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया।

2. MMSGAY योजना के अंतर्गत self works की योजना तैयार करके हाउस से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित था व उसकी सूचना निदेशक शहरी विकास विभाग शिमला -09 को दिनांक 20-04-2022 तक दी जानी थी, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया ।

3. योजना के अंतर्गत वर्क्स का रजिस्टर ,दैनिक उपस्थिति रजिस्टर व सभी वर्क्स की माप पुस्तिका में भी प्रविष्टि की जानी थी , जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गई ।

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 18-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता करता अत: इसका शीघ्रउत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर, नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

19 नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा पेड़ कटवाने हेतु सविंदा कार को ₹0.36 लाख का भुगतान करने पर सम्भावित हानि बारे।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह की पड़ताल उपरांत पाया गया नगर पंचायत चुवाड़ी द्वारा वाउचर संख्या 32, दिनांक 22-4-22 द्वारा अनिक गुप्ता ठेकेदार को पेड़ कटवाने हेतु **₹36600** का भुगतान किया गया है जिसमें निम्न अनियमितता पाई है जिनका यथा शीघ्र निपटारा करके लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

1. नगर पंचायत ने कार्य आदेश संख्या 288 दिनांक 17-3-2 द्वारा अनिक गुप्ता ठेकेदार से पंचायत क्षेत्र में पेड़ कटवाने हेतु कार्य कर वाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें से 3 पेड़ों की कटाई व 7 पेड़ों की लूपिंग की जानी थी परन्तु अभिलेख की पड़ताल पर पाया गया कि इन पेड़ों में से कितनी इमारती व अन्य लकड़ी थी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया और न ही वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति व लकड़ी की मात्रा के निर्धारण की रिपोर्ट व अन्य औपचारिकताएँ भी प्रस्तुत नही की गई । जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

2. पेड़ों की कटवाई उपरांत कितनी लकड़ी प्राप्त की गई से सम्बन्धित कोई भी स्टॉक रजिस्टर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 46 दिनांक 30-05-2023 व 47 दिनांक 1-06-2023 द्वारा पुनः स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया लेकिन सचिव, नगर पंचायत द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जोकि संस्था की अंकेक्षण के प्रति

उदासीनता को परिलक्षित करता करता अत: इसका शीघ्र उत्तर दिया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त अनियमित भुगतान को सक्षम अधिकारी से कर्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व लकड़ी का स्टॉक रजिस्टर भी दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

20 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत के विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम , 2009 की धारा 140 के प्रावधान अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना आपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से इस विभाग/कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

21 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी - छोटी आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

22 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की बहुत आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या :– फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 77/83 खण्ड–5–6535–6536 दिनांक 31.07.23 , शिमला–09.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत :– 2 सचिव, नगर पंचायत चुवाड़ी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.

फोन नं0 —0177—2620881

परीशिष्ट –1 (पैरा सं० -1 के सन्दर्भ में)

(क) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 03/05 तक

1. पैरा-9(iii) अनिर्णीत
2. पैरा- 10 अनिर्णीत
3. पैरा- 14 आंशिक निर्णित (क्रम संख्या 05, 07 व 09 निर्णित)
4. पैरा- 16 अनिर्णीत
5. पैरा- 21 अनिर्णीत
6. पैरा- 22 अनिर्णीत
7. पैरा- 29(3) निर्णीत स्वत: निर्णित

(ख) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2011 तक

1. पैरा-11 (1) अनिर्णीत
2. पैरा-11 (4) अनिर्णीत
3. पैरा-11 (6) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012 तक

1. पैरा-9(3) अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2017 तक

1. पैरा-10 अनिर्णीत
2. पैरा-11 अनिर्णीत
3. पैरा-14 अनिर्णीत
4. पैरा-15 अनिर्णीत
5. पैरा-16(ख) निर्णीत (राशि 100324 की वसूली देख ली गई है)
6. पैरा-17(ग) निर्णीत(राशि 1645 की वसूली व.सं. 33 दिनांक 22-11-19 को कर ली है

(ड.) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 03/2019 तक

1. पैरा-8 निर्णीत (राशि 1412/- की वसूली देख ली गई है)
2. पैरा-9 (ग),(1,2) अनिर्णीत
3. पैरा-9 (घ) अनिर्णीत
4. पैरा-9 (ड) अनिर्णीत
5. पैरा- 11 अनिर्णीत

6. पैरा- 12   अनिर्णीत
7. पैरा- 14(क) अनिर्णीत
8. पैरा- 14(ख)   निर्णीत (अभिलेख की जाँच उपरान्त)
9. पैरा- 15(क,ख) अनिर्णीत
10. पैरा- 16(क)   अनिर्णीत
11. पैरा- 16(ख)(i,ii) अनिर्णीत
12. पैरा- 17(ख,ग) अनिर्णीत
13. पैरा- 18 अनिर्णीत

(च.) अंकेक्षण एंव निरिक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 03/2021 तक

1. पैरा 5(क)   अनिर्णीत
2. पैरा 5(ख)   अनिर्णीत
3. पैरा 6(क,ख)   निर्णीत   (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित कर दिया गया है)
4. पैरा 7(क,ख)   निर्णीत   (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित कर दिया गया है)
   पैरा 7(ग)   अनिर्णीत
5. पैरा 8   अनिर्णीत
6. पैरा 9   निर्णीत (दिये गए उतर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)
7. पैरा 10(क,ख)   निर्णीत   (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित कर दिया गया है)
8. पैरा 10 (ग)   अनिर्णीत
9. पैरा 10 (घ)   निर्णित (अभिलेख की जाँच उपरान्त)
10. पैरा 11   निर्णीत   (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुन: प्रारूपित कर दिया गया है)
11. पैरा 12   अनिर्णीत
12. पैरा 13   अनिर्णीत
13. पैरा 14   अनिर्णीत
14. पैरा 15   अनिर्णीत
15. पैरा 16   अनिर्णीत
16. पैरा 17   अनिर्णीत
17. पैरा 18   अनिर्णीत
18. पैरा 19   अनिर्णीत
19. पैरा 20   अनिर्णीत

20. पैरा 21 निर्णीत (राशि 339 रसीद संख्या 407/36 दिनांक 31-05-23 को वसूली कर ली गई है)

21. पैरा 22 अनिर्णीत

22. पैरा 23 अनिर्णीत

23. पैरा 24 निर्णीत (राशि 24540/- की वसूली पेंशन से कर ली गई है

24. पैरा 25 अनिर्णीत

25. पैरा 26 अनिर्णीत

26. पैरा 27 निर्णीत (दिये गए उतर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)

27. पैरा 28 निर्णीत (दिये गए उतर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)

28. पैरा 29 अनिर्णीत

29. पैरा 30 निर्णीत (दिये गए उतर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)

30. पैरा 31 निर्णीत (दिये गए उतर व अभिलेख की जाँच उपरान्त)

दिनांक 31-03-23 अनिर्णीत पैरे / उप पैरे	61
वर्तमान अंकेक्षण अवधि में लगाये गए पैरे	17
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णित पैरे	(-) 17
कुल	61